न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 45/2024, प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण

1. हजारी पुत्र मांग्या
2. रत्तीराम पुत्र भजनी
3. रामकौर पुत्र भजनी
4. रामसिंह
5. भगवान सहाय
6. हेमलाल
7. कमलेश

(4–7) पुत्रान जयलाल

(1–7) समस्त जाति मीना निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र कंचन जाति मीना निवासी रसीदपुर तहसील महवा जिला दौसा।
2. तहसीलदार महवा जिला दौसा।
3. उप पंजीयक महवा जिला दौसा।
4. बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर जिला दौसा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा महवा जरिये मैनेजर।
6. सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर. ए. एस. उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र उनवानी रामेश्वर बनाम हजारी वगैरा मुकदमा संख्या 141/2024 दावा बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा की सुनवाई अन्य किसी न्यायालय से करवाने व वाद पत्र ट्रांसफर करने बाबत्

उपस्थितिः श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।
: श्री पदम सिंह गुर्जर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित।
: श्री गौरव जैन अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांकः– 27.05.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा के न्यायालय में उनवानी वाद पत्र रामेश्वर बनाम हजारी वगैरा विचारधीन है। जिसमे गत तारीख पेशी 01.01.2025 नियत थी। प्रकरण की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी महवा सुश्री मनीषा कुमारी मीना द्वारा की जा रही है। जो कि मूलतः ग्राम सलेमपुर भुसावर जिला भरतपुर की रहने वाली है एवं अप्रार्थीगण की रिश्तेदारी में है। इसलिये उपखण्ड अधिकारी महवा मामले में निष्पक्ष कार्य नहीं कर रही है और प्रार्थीगण के साथ भेदभाव कर अन्याय कर रही है। प्रकरण में मनमाने तरीके से आदेशिका लिख रही है। प्रकरण में सभी पक्षों का जवाब आने के बाद ही तनकी बननी चाहिये थी व हमारी [illegible] चाहिये थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का उल्लंघन कर मनमाने तरीके [illegible] प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने का आदेश फरमा दिया व दिनांक 18.11.2024 को [illegible] प्राथमिक डिक्री फरमा दिया। प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है कि उपखण्ड अधिकारी [illegible] प्रकरण में हमारे साथ [illegible] नहीं करेगी। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। उपखण्ड अधिकारी महवा से प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक टिप्पणी प्राप्त की गई। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री पदम सिंह गुर्जर एवं अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री गौरव जैन उपस्थित आये। उपस्थित अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी महवा में विचारधीन प्रकरण की सुनवाई सुश्री मनीषा कुमारी मीना आर. ए. एस. कर रही है जो मूलतः ग्राम भुसावर जिला भरतपुर की निवासी है एवं अप्रार्थीगण की रिश्तेदारी में होने से मामले में निष्पक्ष कार्य नहीं कर प्रार्थीगण के साथ भेदभाव कर रही है। प्रकरण में मनमाने तरीके से आदेशिका लिखी जा रही है। वादी के वकील ने वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन करने पर वकील वादी के प्रार्थना पत्र को ध्यान में रखते हुये पक्षकारान के मध्य विधिक तकास्मा किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रार्थना पत्र में कोई जवाब नहीं लिया ना ही सुनवाई का अवसर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के आशय से विधिक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये दिनांक 8.11.2024 को मनमाने तरीके से वाद प्राथमिक डिक्री पारित किये जाने के आदेश फरमा दिये व दिनांक 18.11.2024 को वाद प्रारम्भिक डिक्री फरमा दिया। उपखण्ड अधिकारी महवा द्वारा मनमाने तरीके से कार्य कर अपने रिश्तेदारो को लाभ पहुंचाने के लिये पद का दुरूपयोग कर कार्य किया जा रहा है। हमें उपखण्ड अधिकारी महवा पर कतई भरोसा नहीं है। वे हमारे साथ अन्याय करेगी ऐसा प्रार्थीगण को पूर्ण विश्वास हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाकर वाद पत्र मुकदमा संख्या 141/2024 उनवानी रामेश्वर बनाम हजारी वगैरा की सुनवाई उपखण्ड अधिकारी महवा के न्यायालय के स्थान पर अन्य उपखण्ड अधिकारी के न्यायालय में करवाये जाने हेतु आदेश फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किये गये तथ्य असत्य व बेबुनियाद है। पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है एवं ना ही उपखण्ड अधिकारी अप्रार्थीगण के रिश्तेदार है। अपार्थीगण ने महज प्रकरण को देरीना करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया है। अप्रार्थीगण उपखण्ड अधिकारी मनीषा कुमारी मीना को जानते तक नहीं है और ना ही कभी उनसें मिला है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रकरण में नियमानुसार ही सुनवाई की जा रही है। प्रार्थीगण ने प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण करवाये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण भी प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 8, 9, 11 की तरफ से विभाजन के दावे में जवाब लिया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होना अंकित किया गया है। प्रकरण की सुनवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा में ही कराये जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Rameshwar Singh Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी महवा से प्राप्त तथ्यात्मक टिप्पणी के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड अधिकारी द्वारा लगाये गये आरोप झूंठे एवं निराधार है क्योंकि न्यायालय में रिश्तेदार कोई विशेष मायने नहीं रखते है केवल नियमानुसार ही पक्षकारों के मध्य निर्णय किये जाते है। बिन्दु संख्या 2 में जिस प्रार्थना पत्र का उल्लेख प्रार्थीगण द्वारा किया गया है वह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 10 को हजफ किये जाने के सम्बन्ध में है। प्रतिवादी संख्या 10 बडौदा राज. ग्रामीण बैंक मण्डावर है जिससे प्रार्थी वादी ने किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है, इसलिये प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र पर जवाब लेना उचित प्रतीत नहीं होता है। न्यायालय में विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही वाद पत्र को डिक्री किया गया है। यदि प्रार्थीगण प्रश्नगत प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा उप जिला कलक्टर महवा की टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा में विचाराधीन मुकदमा संख्या 141/2024 की आदेशिका का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बार–बार जवाब पेश करने का अवसर दिया गया है। जवाब दावा पेश करने के उपरान्त प्रारम्भिक डिक्री किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। जिसमें पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के लिये तहसीलदार महवा को आदेशित किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में देर किये जाने की नीयत से पेश किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी महवा को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण फैसल शुमार किया जाकर नम्बर से कम हो एवं पत्रावली बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामस्वरूप चौहान)
अति0 जिला कलक्टर ,दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2025.08.12 12:32:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official